प्रति, 1 श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,

सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0)।

प्रार्थिया :- लीलामनी राजवाड़े पति दशरथ राजवाड़े उम्र लगभग 22 वर्ष जाति रजवार निवासी ग्राम- केवरा (पारसपारा) थाना व तहसील प्रतापपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0)।

अनावेदकगण :-
1. नन्दलाल आ0 अज्ञात उम्र लगभग 40 वर्ष,
2. अर्पित आ0 नन्दलाल उम्र लगभग 15 वर्ष,
3. आयुष राजवाड़े आ0 नन्दलाल उम्र लगभग 20 वर्ष,
4. रामलाल आ0 अज्ञात उम्र लगभग 38 वर्ष,
5. ईश्वर आ0 रामलाल उम्र लगभग 25 वर्ष,
6. विवेक आ0 अज्ञात उम्र लगभग 23 वर्ष,
7. धन्ना आ0 कईला उम्र लगभग 26 वर्ष,

सभी जाति रजवार निवासी ग्राम- केवरा (पारसपारा एवं परसापारा) थाना व तहसील प्रतापपुर जिला- सूरजपुर छ0ग0

विषय :- अनावेदकगण द्वारा प्रार्थिया के पति के साथ गम्भीर रूप से मारपीट कर घायल कर देने एवं जान से मार कर खत्म करने का प्रयासतथा रिपोर्ट पर थाना द्वारा कार्यवाही संतोषजनक नहीं किए जाने के सम्बंध में शिकायत पत्र .

- -

फाइल

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज (छत्तीसगढ़)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक सूरजपुर

25/2/025

महोदय,

निवेदन है कि अनावेदक क्र0 1 नन्दलाल का जमीन एवं प्रार्थी के पति को भूमि एक ही स्थान पर है। अनावेदक क्र0 1 को जमीन का खेत खलयान

2..

था और जमीन का मिट्टी निकलवाना था जिस पर वह प्रार्थिया के पती से सम्पर्क कर बोला कि मैं अपनी जमीन पर खेत बनवाना चाहता हूँ यदि मिट्टी को जरूरत हो तो कर सकते हो । इस पर प्रार्थिया के पति दशरथ रजवाड़े द्वारा अपने परिवार के सदस्यों से राय लेकर आवेदक को बोला कि मैं आपकी जमीन पर खुदाई करवा कर उसमें ईंटा बनवा ले रहा हूँ आपका खेत भी बन जायेगा और मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के काम आ जायेगा । इस पर आवेदक क्रं0 1 अपने पुत्रों व परिवार वालों की सहमति से प्रार्थिया के पति दशरथ रजवाड़े को अपनी भूमि पर ईंट बनाने की सहमति दे दिया और वर्ष 2023 से प्रार्थिया का पति आवेदक क्रं0 1 की भूमि को ट्रैक्टर व जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई कराकर उससे निकली मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने हेतु आवेदकगण की सहमति से करने लगा और अन्त तक दशरथ रजवाड़े द्वारा आवेदकगण से पूछा गया कि यदि आप लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो मैं आपकी जमीन पर ईंट नहीं बनाऊँगा । लेकिन आवेदक क्रं0 1 एवं शेष आवेदकगण द्वारा बोला गया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है आप ईंट बनवा लीजिये । तब प्रार्थिया के पति दशरथ रजवाड़े द्वारा काफी पैसे खर्च करके आवेदक की जमीन की मिट्टी से उसकी ही जमीन पर ईंट बनवाना चालू कर दिया । और लगभग 60,000 (साठ हजार) ईंट का निर्माण वर्ष 2023 में कराया गया था । जब ईंट बन कर व पक कर तैयार हो गया तब आवेदक क्रं0 1 द्वारा बोला गया कि मुझे कुछ ईंट की जरूरत है मुझे दे दो मात्र छः हजार ईंट की मांग आवेदक क्रं0 1 द्वारा किया गया जिसे दशरथ द्वारा बोला ठीक है ले लीजिये, उसके बाद आवेदक क्रं0 1 ट्रैक्टर लगवा कर पूरा ईंट को लोड करवा कर ले गया और फिर 4-5 अन्य ट्रैक्टर बुलवा कर पूरा ईंटा को लोड करवा कर भेजवाने लगा जिसे देख कर दिनांक-

20/02/2025 को जब प्रार्थिया के पति के बड़े भाई मनोज मौका पर पहुँचा और आवेदक क्र0 1 से बोला कि ईंट ले जाने से पहले पूछ तो लिये होते ईंट बनवाने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, जिस पर बहस अनावेदकगण करने लगे तो आवाज सुनकर प्रार्थिया का पति वहाँ पहुँचा और वह भी देखा के पूरा ईंट को जबरन बल पूर्वक अनावेदकगण ले जा रहे थे तो पीछे से दशरथ हाथ में डण्डा लेकर आया और अचानक प्रार्थिया के पति के गर्दन में डण्डा से 3-4 डण्डा जोर-जोर से मारा और पीठ, कमर, सीना, हाथ, पैर शरीर के सभी जगहों पर डण्डा से एवं हाथ मुक्का लात से सभी अनावेदकगण जमीन पर पटक कर दशरथ का हाथ पैर को बाँध कर सीना में चढ़ कर गम्भीर रूप से मारपीट किये व पेट में भी मारे हैं तथा जब प्रार्थिया का पति अनावेदकगण के मारपीट से गम्भीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया तब अनावेदक क्र0 4 दशरथ के सिर में पेशाब कर दिया और पाईप को मुँह में डाल कर पानी ट्यूबवेल का चालू कर दिये थे तथा प्रार्थिया के जेठ मनोज को भी गम्भीर रूप से पैर में कमर, में सीना में डण्डा एवं हाथ मुक्का लात घूसा से मारे हैं एवं मुखिया राजवाड़े को भी डण्डा एवं हाथ मुक्का लात से मारे हैं एवं प्रार्थिया लीलावती को भी डण्डा से सिर में मारे एवं बाल पकड़ कर जमीन पर घसीट कर अनावेदकगण मारे हैं तथा प्रार्थिया के पिता अघमिया को भी हाथ मुक्का से मारे है। सबसे ज्यादा चोट प्रार्थिया के पति दशरथ राजवाड़े को आया है और वह घटना दिनांक- 20/02/2025 से ही अस्पताल प्रतापपुर में भर्ती है जिसका ईलाज चल रहा है चोटों की गम्भीरता इतनी ज्यादा है कि अस्पताल वाले भी उसका ईलाज कराकर ठीक होने की बात नहीं कर रहे हैं उसको जान का खतरा बना हुआ है। उक्त घटना की शिकायत थाना प्रतापपुर में जब करने गये

तो दिनांक- 20/02/2025 को प्रार्थिया के पहुंचे अनुसार थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट नहीं लिखा गया और बोला गया कि दूसरे दिन आना तब रिपोर्ट लिखेंगे । प्रार्थिया अपना बयान जिस प्रकार से थाना में दी थी उसके कहे अनुसार थाना में रिपोर्ट नहीं लिखा गया और मनमाने तरीके से जैसा चाहे थाना प्रतापपुर द्वारा रिपोर्ट तैयार करके पुलवा कर दिये । तथा सभी जमानतीय धारा का दर्शित कर दिया गया जबकि अनावेदकगण का कृत्य गम्भीर धाराओं के तहत की गई कृत्य है और जान से मारने का भरपूर प्रयास किए इस प्रकार हाफ मर्डर जैसा अपराध अनावेदकगण द्वारा किया गया है। अनावेदकगण पैसे वाले है जिनके द्वारा धमकी दिया जाने लगा कि हम लोग थाना प्रतापुर में 1,00,000/- रूपये दे दिये हैं और धारा को कम करवा लिये हैं हम जैसा चाहेंगे वैसा ही थाने वाले करेंगे । हमारा कुछ नहीं हो सकेगा । और इस बार हैंटा के पास जाकर दिखाओं जो जावेगा उसे मर्डर कर देंगे और घर में घुस कर पूरे परिवार वालों को पूज (काट) कर खत्म कर देंगे और लाश का भी पता नहीं चलेगा । और उसी दिनांक- 20/02/2025 को सभी अनावेदकगण एवं अन्य 20- 25 लोग प्रार्थिया के घर से बाहर आकर हैंटा पत्थर से पूरे घर में फैंक - फैंक कर मारे हैं और घर का दरवाजा तोड़ दे रहे थे यदि अनावेदकगण दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते तो वे उक्त दिनांक 20/2/25 को रात लगभग 7 बजे घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही जान से मार कर खत्म कर दिये होते । क्योंकि उनके हाथ में तब्बल, तलवार, डण्डा, व राड तथा अन्य धारदार हथियार थे और वे जान से खत्म करने की नियत से ही रात में अवैध गिरोह बनाकर आये थे । लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ पाने के कारण जान की रक्षा हो सकी ।- प्रार्थिया का परिवार गरीब है जिसका नाजायज लाभ लेकर अनावेदकगण उन्हें प्रताड़ित कर परेशान किए हैं और गम्भीर मारपीट किए हैं तथा थाना में रूपये देकर गाँव में घूम- घूम कर कह

रहे है कि हम लोग इस बार तो मारे तो दशरथ अस्पताल में है और उसके ठीक होकर आने पर फिर से घर में घुस कर उसे तथा उसके परिवार के सभी लोगों को जान से मार कर खत्म कर देंगे और पुलिस में पैसा देकर बच जायेंगे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जिससे प्रार्थिया के परिवार के सभी सदस्यों का ग्राम में रहना काफी कठिन हो गया है अनावेदकगण कभी भी फिर से जानलेवा हमला करके जान मार सकते हैं। अनावेदकगण के डर से गाँव में कोई व्यक्ति घटना का गवाही देने को तैयार नहीं हैं अनावेदकगण के द्वारा मारपीट किए गये घटना को गाँव के बहुत लोग देखे हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अनावेदकगण द्वारा प्रार्थिया के पति दशरथ राजवाड़े के साथ की गई गम्भीर मारपीट व हाफ मर्डर जैसा कृत्य की सूक्ष्म जाँच कराकर उनके विरूद्ध गम्भीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दण्डित करने को कृपा करें। साथ ही सुरक्षा हेतु पुलिस सहायता प्रदान करें।

लीलापती

ह0 प्रार्थिया

दिनांक- 25/02/2025

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय, सरगुजा रेंज अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ0ग0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।